

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं०.- 4913 वर्ष 2026**

आकाश

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख सचिव गृह लखनऊ के माध्यम से

.....प्रतिवादी (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : शिशिर प्रधानप्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शा. अधि.

न्यायालय सं०. - 16**माननीय न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह**

श्री धर्मेन्द्र त्रिवेदी ने शिकायतकर्ता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए.-I तथा शिकायतकर्ता के अधिवक्ता को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका प्रार्थी की ओर से मुकदमा अपराध सं०.121 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 105, 115(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना भदोखर, जिला रायबरेली में, दौरान विचारण उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रार्थी निर्दोष है और पुलिस ने

इस मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया है। इसके बाद उन्होंने दलील दी कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रार्थी के खिलाफ आरोप यह है कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई थी और शिकायतकर्ता की 80 वर्षीय माँ के सिर में चोट लगी, जिसके परिणामस्वरूप तीन दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने दलील दी कि किसी व्यक्ति के गिरने की स्थिति में उसकी मौत हो जाएगी, ऐसा कोई इरादा या ज्ञान नहीं माना जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता का अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं. में दिया गया बयान यह दिखाने के लिए काफी है कि मृतक महिला को टक्कर लगने के बाद, तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई। मृतक 80 वर्ष की थीं और वृद्धावस्था की चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में भ.द.सं. की धारा 302 लागू नहीं होती है। उनका निवेदन है कि प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 09.05.2026 से कारावास में निरुद्ध है। इसके बाद वह निवेदन करते हैं कि यदि प्रार्थी को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा। वहीं दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत की मांग का विरोध किया है और यह तर्क दिया गया है कि सिर में चोट लगने के कारण मृतक की मृत्यु हुई थी, इसलिए प्रार्थी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। उनका कहना है कि एक घटना हुई है जिसमें प्रार्थी ने मृतक के साथ मारपीट की, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। इसलिए; यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रार्थी जमानत पाने का अधिकारी नहीं है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भी शिकायतकर्ता के अधिवक्ता के पक्ष का समर्थन किया है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात, यह पाया जाता है कि मृतका की आयु 80 वर्ष थी और वह गिरकर चोटिल हो गई थीं, जिससे उनके सिर में चोट आई। इस न्यायालय को ऐसा कोई कारण नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी को यह ज्ञान था

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि गिरने से मृत्यु हो सकती है; प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 09.05.2026 से कारावास में निरुद्ध है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और साक्ष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आरोप के समर्थन में अदालत की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत का मामला मानता हूँ।

प्रार्थी- आकाश, उपरोक्त अपराध में शामिल को इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

- (i). प्रार्थी विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डराना/ दबाव डालना या किसी अन्य तरीके से अभियोजन के साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii). प्रार्थी को यह शपथ-पत्र देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। उन्हें निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय में उपस्थित रहना होगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना, अनुपस्थित रहती है, तो विचारण न्यायालय अंतर्गत धारा 229-अ भा.द.सं. में उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है।
- (iii). प्रार्थी को तय तिथियों पर विचारण न्यायालय के सामने (i) मुकदमे की शुरुवात में, (ii) आरोप तय करते समय (iii) धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत बयान दर्ज करते समय, स्वयं मौजूद रहना होगा।
- (iv). यदि, प्रार्थी मुकदमे के दौरान जमानत का दुरुपयोग करती है तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्गत धारा 82 द.प्र.सं. में उद्घोषणा जारी की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जा सकती है और यदि प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है, तब, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध, अंतर्गत धारा 174-अ भा.द.सं. में, विधि के प्रावधानों के अनुसार, कार्यवाही शुरू करेगा।

संबंधित न्यायालय द्वारा जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा। यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो निचली अदालत जमानत रद्द करने और प्रार्थी को कारावास भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल इस जमानत याचिका के निपटारे तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी तरह का असर डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

(श्री प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति)

जून 30, 2026

मुक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।